बिहार विधान परिषद

(204 मॉनसून सत्र)

लिखित उत्तर के लिए अल्पसूचित प्रश्न

12 जुलाई 2023

[सामान्य प्रशासन - राजस्व एवं भूमि सुधार - पर्यटन - नगर विकास एवं आवास - सहकारिता - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - सूचना एवं जनसम्पर्क - आपदा प्रबंधन - मंत्रिमंडल सचिवालय - निगरानी सूचना प्रौद्योगिकी].

अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या- 9

सड़क का निर्माण

13. **श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम अंतर्गत वार्ड सं.- 37 के बाकरगंज नाला के ऊपर सड़क निर्माण करने का विचार सरकार द्वारा किया गया था;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नाला के ऊपर सड़क का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

नाले का निर्माण

14. **डा. अजय कुमार सिंह (सहरसा स्थानीय प्राधिकार):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि सहरसा शहर के न्यू कॉलोनी, सड़ाही, गांधी पथ, कृष्णानगर, नया बाजार, कचहरी रोड, कुंवर टोला आदि मुहल्लों में बारिश के दिनों में तीन महीने तक जल-जमाव की समस्या बनी रहती है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त मुहल्लों में बारिश के समय जल-जमाव की समस्या के कारण स्कूली बच्चों एवं बीमार लोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्या यह सही है कि वुडको द्वारा शहर के 13 वार्डों में नाले का निर्माण जल निकासी के लिए किया गया और शेष बचे 33 वार्डों में नाले का निर्माण लंबित है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सहरसा शहर के शेष बचे 33 वार्डों में जलजमाव से निजात के लिए नाले का निर्माण व जल निकासी की व्यवस्था कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अधिग्रहण से मुक्त

15. **प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि श्री शिववचन राय, पिता श्री नोखलाल राय के नाम से ग्राम-इलाहीबाग, अनुमंडल- पटना सदर, अंचल संपतचक मौजा- रामाचक, थाना नं.- 118 खाता नं.- 11, 16, 9 खेसरा नं.- 7,8,9 रकबा- 6 एकड़ 53 डिसमिल जमीन है;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क';में वर्णित जमीन (6एकड़ 53 डिसमिल) बिना किसी सूचना, बिना किसी नोटिस के दिसंबर 2020 में पटना नगर निगम द्वारा जबरन अधिग्रहीत कर ली गई है बिना भू-अर्जन पदाधिकारी बिहार, पटना के आदेश प्राप्त हुए, जिससे भू-स्वामी का सारा परिवार भुखमरी के कगार पर है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त जमीन के अधिग्रहण की कार्रवाई के बावजूद आजतक भू-स्वामी को जमीन का मुआवजा न तो भू-अर्जन पदाधिकारी, बिहार पटना और न ही पटना नगर निगम द्वारा ही दिया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित जमीन के भू-स्वामी को वर्तमान दर से भूमि का मुआवजा अविलंब देना चाहती है या उस भू-स्वामी के जमीन को अधिग्रहण से मुक्त करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

जल निकासी की व्यवस्था

16. **मो. फारूक (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि शिवहर में जल जमाव के कारण आम लोगों को काफी

कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि शहरी क्षेत्र में जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय पथ, सेंट्रल बैंक पथ, गांधी भंडार रोड सहित आधा दर्जन मुहल्लों में जल जमाव की समस्या बनी रहती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार शिवहर को जल-जमाव से निजात दिलाने हेतु मास्टर प्लान बनाकर जल निकासी की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

तालाब का सौंदर्यीकरण

17. **श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि भोजपुर जिला अंतर्गत आरा नगर निगम, वार्ड संख्या- 17 अंतर्गत महात्मा गांधी नगर, कतीरा में 6 एकड़ 42 डिसमिल का एक सरकारी तालाब है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त तालाब की घेराबंदी एवं सौंदर्यीकरण नहीं होने से इस तालाब के आस-पास अतिक्रमण हो रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए सौंदर्यीकरण कार्य कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

आदेश का अनुपालन

18. **श्रीमती रीना देवी (स्थानीय प्राधिकार, नालन्दा):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि विभागीय सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार-सह- द्वितीय अपीलीय प्राधिकार लोक शिकायत निवारण के यहां दायर पंजीयन संख्या- 427110108580182 6/2A के तहत दिनांक- 13.06.2019 को पारित अंतिम निर्णय संख्या- 23111-18214 में दिये गये निदेश का अनुपालन अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा (नालन्दा) द्वारा अबतक नहीं किया गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नियमानुसार द्वितीय अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश का अनुपालन कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

जल मीनार की स्थापना

19. **प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि अरवल जिला में जल मीनार की स्थापना नहीं की गई है जिससे आम लोगों को स्वच्छ जल की आपूर्ति नहीं होती है;

(ख) यदि उक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त जिला में जल मीनार की स्थापना कबतक करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

नाला की समस्या का समाधान

20. **श्री रामईशबर महतो (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत पत्रकार नगर थाना के भाभा कॉलोनी, हनुमान नगर, कंकड़बाग के इन्द्रकुमार गुजराल पथ में सीवरेज के पानी का बहाव श्री नागेन्द्र सिंह के मकान से रानी कोठी तक पूर्णत: ध्वस्त रहने के कारण नाला का पानी रोड पर बह रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि रोड पर नाले के पानी के बहाव के कारण आम आदमी का रोड पर चलना मुश्किल हो गया है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त रोड पर ज्यादातर स्कूल जाने वाले बच्चे एवं महिलाओं को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नाला के पानी के बहाव का समाधान कबतक कराना चाहती है, नहीं तो क्यों?

मानदेय एवं ईपीएफ का भुगतान

21. **डा. कुमुद वर्मा (विधान सभा):**

क्या **सामान्य प्रशासन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी द्वारा नियोजित आई टी सहायकों, जिन्होंने 5 वर्षों की सफल सेवा पूरी कर ली है, को विशेष भत्ता के रूप में 3000 रुपये की वृद्धि जनवरी 2023 से की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि नवादा, समस्तीपुर, सिवान, सारण सहित पूरे राज्य में अभी तक बढ़ा हुआ मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि इनके ईपीएफ की राशि मानदेय से कटौती करने के बाद भी ससमय इनके ईपीएफ खाते में जमा नहीं किया जाता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इनका बढ़ा हुआ मानदेय एवं ईपीएफ का भुगतान ससमय करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?